संख्या-969/2017/2587/22-2-2017-17(332)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 29 दिसम्बर, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ. में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जगत सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह, निवासी जनपद-हरदोई की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय कारागार के पत्र संख्या-35773/प्रोबे0-5-दयायाचिका/879 दिनांक 03.10.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 03.10.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ. में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जगत सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम महुईपुरी, थाना कोतवाली देहात, जनपद-हरदोई का रहने वाला है। बन्दी द्वारा प्रधान के चुनाव की रंजिश को लेकर दिनांक 25.01.1978 को 02 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर बन्दूक व लाठी से मारकर 01 व्यक्तियों की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-575/1980 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-4, हरदोई के आदेश दिनांक 18.11.1981 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.10.2007 द्वारा यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20.03.2016 तक 05 वर्ष 09 माह 28 दिन की अपरिहार एवं 07 वर्ष 08 माह 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु लगभग 67 वर्ष है। जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की आयु, काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी जगत सिंह (बन्दी संख्या-26109) पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह, निवासी-जनपद-हरदोई की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-969/2017/2587/(1)/22-2-2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ.।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in